(19)

माननीय न्यायालय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर केम्प, उज्जैन

R-3413-J/14

प्रकरण क्रं0

कन्हैयालाल पिता निर्भयरामजी पाटीदार आयु 76 वर्ष निवासी – खजूरी तह. मनासा जिला नीमच

.....पुनरीक्षणकर्ता

विरूद्व

01.बद्रीलाल पिता जगन्नाथ पाटीदार आयु 50 वर्ष
02. मूलचंद पिता तुलसीरामजी पाटीदार आयु 47 वर्ष
03. मांगीलाल पिता जगन्नाथजी पाटीदार आयु 56 वर्ष
निवसीगण खजूरी तह. मनासा जिला नीमच

.....विपक्षीगण

पुनरीक्षण याचिका : अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू राजस्व संहिता

माननीय महोदय,

सेवा में, पुनरीक्षणकर्ता की ओर से पुनरीक्षण आवेदन निम्नवत् पेश है :–

यह कि, विपक्षीगण ने अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार महोदय, मनासा के समक्ष एक आवेदन पत्र धारा 131, 132 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत् पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध पेश किया था, जो राजस्व प्रकरण क्रमांक 8/अ–13/12–13 पर दर्ज किया गया। उक्त प्रकरण में विपक्षीगण ने एक आवेदन धारा 32 म.प्र. भू–राजस्व संहिता के तहत् भी पेश कर प्रकरण के विचारण के दौरान विवादित रास्ता खुला करवाने के लिए अंतरिम आदेश चाहा था। उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सुनवाई किए और पुनरीक्षणकर्ता की पीठ पीछे अंतरिम आदेश दिनांक 13.08.2014 को पारित कर दिया।

यह कि, अंतरित आदेश दिनांक 13.08.2014 से दुःखी एवं व्यथित होकर यह पुनरीक्षण न्यायादान हेतु सेवा में प्रस्तुत है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी/3413-एक/2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
02-07-2018	1/ अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, मनासा जिला नीमच के समक्ष संहिता की धारा 131 एवं 132 के अंतर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर उनके भूमिस्वामी स्वत्व की प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ-13/12-13 दिनांक 13.08.2014 दर्ज कर सीमांकन आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। 2/ आवेदक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है। यह भी कहा गया कि स्थल निरीक्षण में रूढ़िगत मार्ग नहीं पाया गया है। इस तथ्य की पुष्टि स्थल निरीक्षण पंचनामे से होती है और स्थल निरीक्षण आवेदक की उपस्थिति में नहीं किया गया है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन मेमो के विपरीत सीमांकन किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। 3/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक सहित समस्त हितबद्ध व्यक्तियों को सूचना दी जाकर विधिवत् सीमांकन किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। 4/ तहसील न्यायालय के आदेश को देखने से यह स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत् स्थल निरीक्षण	

R. 3413-I/2014 (नीमच)

उपरांत अंतरिम रास्ता खोले जाने का आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि वह दो माह में प्रकरण का अंतिम निराकरण करें। उपरोक्त निर्देश के साथ प्रकरण समाप्त किया जाता है।

अध्यक्ष